



न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक:-

/16 निगरानी

क्र.सं - 1263-III-16

रामकुंवरबाई पति बालाराम पाटीदार निवासी  
ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम  
~~बालाराम पाटीदार पति रामकुंवरबाई~~  
(म.प्र.)

विरुद्ध

.....आवेदिका

T

- 01.विकास पिता ओमप्रकाश  
रामेश्वर पिता चिमनलाल मृत द्वारा वारि0
- 02.बालाराम पिता रामेश्वर
- 03.गणपतलाल पिता रामेश्वर सभी निवासीगण  
ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम  
(म.प्र.)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र  
उज्जैन के प्रकरण कमांक 105/15.16 में पारित आदेश दिनांक  
21/12/15 से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर  
पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करती है।

35/12/15  
13/12/15

32  
25/12/15

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण संख्या R-1263/16 दिनांक 21/10/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	परिष्कार एवं अभिलेखांकन आदि के हस्ताक्षर
21.10.2016	<p>आवेदक की ओर ली शी शकवाफ बुझी आदेशाफक उपाधित। शाधयता पर हुमा गया। अपा आयुक्त के आदेश की सत्य प्रतीक्षीर्ष का अपकोकन किया गया। अपा आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपीय मात्र 20 दिवस विक्रम ल प्रस्तुत होर के कारण निरस्त की गई है। इस सम्बन्ध में क्रम 2015(4) MPLJ 502 में माननीय सर्वोच्च आभाकम डाट न्याय इच्छांत प्रतिपादित किया गया है कि समय सीमा के बिन्दु पर उपाट हाछिकोन अपनमा-स चारिये अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपा आयुक्त का आदेश दिनांक 21.12.2015 निरस्त किया जाकर प्रकाश गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रत्यक्षीय किया जाता है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>